



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद  
मुरादाबाद  
211350030153735  
042213038379

जारी दिनांक: 24/12/2021

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

शम

तहसील

जिला

कु. वंशिका

श्री भगवान दास

श्रीमती तुलसी रानी

, बालाजी मंदिर राम भरोसे स्कूल बनवटा  
गंज



मुरादाबाद

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. वंशिका पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (वया संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN  
TEWATIA

Digitally signed by NITIN  
TEWATIA  
O=U.P. GOVERNMENT,  
OU=REVENUE,  
CN=CH=NTIN  
TEWATIA, S=UTTAR  
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
मुरादाबाद, मुरादाबाद  
दिनांक: 24/12/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदन द्वारा स्वयं की तथ्य इन आक्षेपों के माध्यम से जांचा जा सकता है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका यहाँ आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।